18.12.24 | पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर 3 तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादी अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में खारिज किया जाता है।

~~इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि~~

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

18/12

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested